

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आडोल03आरो  
 आवेदन पत्र के समूह में जाना जायेगा जिसके अनुसार  
 को 2231-24 का टाटा-161 व 161 का  
 जोधपुर

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/मुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सही नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है / नहीं की जाती है।

उपरोक्त निम्न ज्ञान उचित है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)  
 दिनांक :- 14-12-2024

आदेश :-  
 प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/मुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/मुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद को आदेश दिया जाता है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जाँझपुरा	2075-78	123	लीलाराम पु. एम।	लीलाराम पु. एम। जाँझपुरा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 14-12-2024

क्रमांक - राजस्व/2020/ 2233

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/मुढागौडजी को वास्तु पालनार्थ।
  2. प्राथी/प्राथीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी